महत्वपूर्ण

संख्या-646/73-सम.-2023

प्रेषक,

कान्ता प्रसाद सिंह,
संयुक्त सचिव
उ॰प्र॰शासन।

सेवा में,

परियोजना समन्वयक,
प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट,
यूपीडास्प, पिकप भवन, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

समन्वय अनुभाग लखनऊ दिनांक 20·10·2023

विषय:-UP Agriculture Growth and Rural Enterprise Ecosystem Sterengthening (UPAGREES) Project हेतु शासन स्तर से औपचारिक आदेश निर्गत किये जाने विषयक।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-991/635/जे(प्रशा.)/यूपीडास्प/2023 दिनांक 15 अक्टूबर,2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से UP Agriculture Growth and Rural Enterprise Ecosystem Sterengthening (UPAGREES) Project के संचालन/समन्वय तथा अन्य सुसंगत प्रकरणों का विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कार्य यूपीडास्प द्वारा किये जाने के लिये एक औपचारिक आदेश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि UP Agriculture Growth and Rural Enterprise Ecosystem Sterengthening (UPAGREES) Project के संचालन/समन्वय तथा अन्य सुसंगत प्रकरणों में विचारार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने सम्बन्धी समस्त कार्य यूपीडास्प, लखनऊ द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

कान्ता प्रसाद सिंह
संयुक्त सचिव

संख्या-646(1)/73-सम-2023 तद्दिनांक

1. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ.प्र.शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उ.प्र.शासन।
3. श्री अनुराग यादव, सचिव, उ.प्र.शासन (द्वारा यूपीडास्प)।
4. परियोजना से सम्बन्धित अन्य समस्त अधिकारीगण (द्वारा यूपीडास्प)।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम जन्म चौहान)
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
समन्वय विभाग
संख्या–678/73–सम0–2024–388/2024
लखनऊ: दिनांक– 04 अक्टूबर, 2024

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तर प्रदेश में कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों की प्रमुख फसलों की उत्पादकता में गुणात्मक वृद्धि, विशिष्ट कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन गतिविधियों एवं मार्केट सपोर्ट सिस्टम का विकास किये जाने, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों हेतु भण्डारण, खाद्य प्रसंस्करण और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट तथा इससे सम्बन्धित सहवर्ती अवस्थापना सुविधाओं का विकास कर स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन सृजित किये जाने एवं इसके माध्यम से कृषकों की आय में अपेक्षित वृद्धि हेतु "उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इण्टरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना (यूपीएग्रीज)" का क्रियान्वयन किये जाने का निर्णय लिया गया है। परियोजना का विस्तृत विवरण संलग्न है।

2– परियोजना का क्रियान्वयन समन्वय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के नियन्त्रणाधीन उत्तर प्रदेश डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट (यूपीडास्प) के माध्यम से किया जायेगा। परियोजना की अवधि 06 वर्ष (वित्तीय वर्ष 2024–25 से 2029–30) प्रस्तावित है।

3– "उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इण्टरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना (यूपीएग्रीज)" पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बुन्देलखण्ड के 08 मण्डलों के 28 जनपदों में लागू की जायेगी, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

क्रमांक	राजस्व मण्डल	जनपद
1	झांसी	झांसी, ललितपुर एवं जालौन।
2	चित्रकूटधाम	चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर एवं महोबा
3	विंध्याचल	मिर्जापुर,सोनभद्र एवं भदोही
4	वाराणसी	वाराणसी, चन्दौली, गाजीपुर एवं जौनपुर
5	गोरखपुर	गोरखपुर, देवरिया, महराजगंज एवं कुशीनगर
6	आजमगढ़	आजमगढ़, मऊ एवं बलिया
7	बस्ती	बस्ती, सिद्धार्थनगर एवं संतकबीरनगर
8	देवीपाटन	गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती एवं बलरामपुर

4– उत्पादकता वृद्धि, कमोडिटी क्लस्टर्स की स्थापना, डिजीटल एवं वित्तीय इकोसिस्टम का विकास तथा परियोजना प्रबन्धन, प्रशिक्षण, पार्टनरशिप, आकस्मिक आपातकालीन व्यवस्था यूपीएग्रीज परियोजना के मुख्य घटक हैं। उक्त मुख्य घटकों का विवरण निम्नवत् है:–

(1) उत्पादकता वृद्धि–संसाधन उपयोग दक्षता, बीज व्यवस्था, कृषि प्रसार, क्लाइमेट एक्शन मैकेनिज्म का लाभ, सीजीईएमएमए–एशिया में प्रथम का गठन एवं स्वैच्छिक कार्बन बाजार में भागीदारी।

Manoj

2

(2) क्‍ क्लस्टरः—

(क्रॉप क्लस्टर का विकास।

(मत्स्य क्लस्टर का विकास (20,000 हे0 ग्राम तालाब और 56,200 हे0 जलाशय)।

(3) डिल एवं वित्तीय इकोसिस्टम—डिजीटल आर्किटेक्चर और प्रोद्योगिकी सेतथा कृषि वित्त इकोसिस्टम।

(4) परिना प्रबन्धन, प्रशिक्षण एवं पार्टनरशिप।

(5) आमक आपातकालीन व्यवस्था।

5— परियोजना मुख्य परफारमेन्स इन्डीकेटर निम्नवत होंगेः—

(i) प्रमुख फसलकी उत्पादकता के स्तर में गुणात्मक सुधार।

(ii) मृदा में जीव कार्बन की मात्रा में वृद्धि एवं कार्बन उत्सर्जन में कमी।

(iii) कृषि उद्यमी/मत्स्य उद्यमी/महिला उद्यमी समूह को सशक्त बनाकर बाजार की मांग के अनुरूप कृषि उत्पादों का उत्पादन, प्रसंस्करण एवं विपणन।

(iv) क्राप-क्लस्टर के माध्यम से उच्च गुणवत्ता/मूल्य के कृषि उत्पादों के उत्पादन, वैल्यू चेन हेतु उद्योगों की स्थापना एवं प्रभावी मार्केट सपोर्ट सिस्टम से विपणन/निर्यात।

(v) डिजीटल एग्रीकल्चर प्लेटफार्म के माध्यम से कृषकों, सरकारी विभाग/संस्थान व निजी क्षेत्र के मध्य समन्वय व सूचनाओं का सुगम आदान प्रदान।

(vi) कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना तथा इसके लिये एग्री एक्सपोर्ट हब की स्थापना।

6— "उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इण्टरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना (यूपीएग्रीज)" का वित्त पोषण 70:30 के अनुपात में क्रमशः विश्व बैंक से ऋण और राज्यांश के माध्यम से किया जायेगा। परियोजना की कुल लागत 482 मिलियन अमेरिकन डॉलर (लगभग रू0 4000 करोड़) है, जिसमें विश्व बैंक से ऋण रू0 2737 करोड़ और राज्यांश रू0 1166 करोड़ है।

7— परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ऋण लिए जाने के विषय में विश्व बैंक व भारत सरकार के साथ निगोसिएशन कर लोन (ऋण) एग्रीमेंट के विभिन्न प्राविधानों, यथा मुद्रा, मोरेटोरियम, परियोजना समयावधि एवं ब्याज दर आदि बिन्दुओं पर राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी (मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त/अपर मुख्य सचिव, कृषि) को अधिकृत किया गया है।

उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एण्ड रूरल इण्टरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना के क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाय।

संलग्नकः—यथोक्त

Manoj 5.10.24

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

संख्या–678(1)/73–सम0–2024–तददिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग), भारत सरकार,नई दिल्ली।
2. निदेशक, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) भारत सरकार।
3. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. अपर मुख्य सचिव, वाहय सहायतित परियोजना विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. प्रमुख सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. प्रमुख सचिव, कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान तथा कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
12. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
13. प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
14. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
15. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
16. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
17. परियोजना निदेशक, यूपीएग्रीज।
18. परियोजना समन्वयक, यूपीडास्प, उत्तर प्रदेश ।
19. अपर परियोजना निदेशक, यूपीएग्रीज।
20. तकनीकी समन्वयक,यूपीडास्प, लखनऊ।
21. महानिदेशक, उपकार।
22. निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश ।
23. निदेशक, मत्स्य, उत्तर प्रदेश ।
24. निदेशक, मण्डी/विपणन, उत्तर प्रदेश ।
25. निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उत्तर प्रदेश ।
26. श्री विनायक नारायण घटाटे, विश्व बैंक।
27. डिस्ट्रिक्ट एक्जीक्यूटिव कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यगण (द्वारा यूपीडास्प)।
28. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(कामता प्रसाद सिंह)
संयुक्त सचिव